न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 189/2023

GCMS No.—2022/118

कालूराम पुत्र श्योसहाय उर्फ शिवसहाय जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम तूंगा रोड, बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बस्सी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बस्सी, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर।
2. नगरपालिका बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि/अधिकारी।
3. रेवडमल पुत्र स्व0 सुरजमल हरसोरा,
4. कैलाश पुत्र स्व0 सुरजमल हरसोरा,
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी हरसोरा की गली, ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत रेस्पाडेन्ट संख्या 3 व 4 के पिता सुरजमल हरसोरा के हक में जारी पट्टा दिनांक 31.12.1971 को निरस्त किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 3 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 27.03.2026

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत बस्सी, पंचायत समिति बस्सी के आदेश दिनांक 31.12.1972 की पालना में से गैर निगरानीकार संख्या 3 व 4 के पिता सुरजमल हरसोरा पुत्र भैरू निवासी ग्राम बस्सी के हक में पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.09.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 व 2, 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। विपक्षी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शार्मा उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बस्सी से मूल पट्टा पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 से विपक्षी संख्या 3 व 4 के पिता सुरजमल हरसोरा ने साज करते हुये निगरानीकार के पिताजी शिवसहाय पुत्र भैरूलाल की आबादी भूमि जिसका पट्टा निगरानीकार के पिता

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

के हक में दिनांक 02.03.1958 को विपक्षी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया, उसी पट्टेशुदा भूमि का गैर निगरानीकार संख्या 3 व 4 के पिता सुरजमल द्वारा साज करते हुए निगरानीधीन पट्टा गलत रूप से जारी करवा लिया। जबकि निगरानीकार की उक्त पट्टेशुदा भूमि पर गलत रूप से गैर निगरानीकार ने पट्टा जारी करवा लिया। निगरानीकार को जारी पट्टेशुदा भूमि के नजरी नक्शे एवं निगरानीधीन पट्टे के नजरी नक्शे के अवलोकन से जाहिर है कि निगरानीकार की भूमि का पट्टा गैर निगरानीकार ने जारी करवा लिया। ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा पंचायत राज अधिनियमों के विपरीत जाकर सम्पूर्ण प्रकिया को दरकिनार करते हुए नियम 266(क) के अनुसार 63.33 वर्गगज का पट्टा जारी कर दिया है। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 3 व 4 के पिता स्व0 सूरजमल के हक में निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि की वास्तविकता के बारे में सम्पूर्ण जानकारी थी। इसके बाबजूद भी उक्त पट्टा साजकर जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीधीन पट्टे के नक्शा ट्रेस की चारो दिशाओं में निगरानीकार की पट्टेशुदा भूमि अपना अपना चौक व अगवार बता रखा है जबकि विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टा निगरानीकार के पिता के हक में पूर्व में जारी कर दिया गया था जिसका भी उक्त नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं किया गया एवं निगरानीकार की 2 फीट 3 इंच की भूमि जो कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा निगरानीकार के पट्टे में बता रखी है उक्त भूमि का भी पट्टा अपने नाम जारी करवा लिया। इसलिए गैर निगरानीकार के पिता के हक में जारी विधि विरूद्ध पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई मौका निरीक्षण किये निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। दिनांक 29.08.2022 को गैर निगरानीकार निगरानीधीन पट्टे की आड में निगरानीकार की भूमि पर निर्माण कार्य करना प्रारम्भ किये तो निगरानीकार को निगरानीधीन पट्टे की जानकारी हुयी। उक्त पट्टे के संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त कर निगरानीकार ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर माननीय न्यायालय के समक्ष अविलम्ब निगरानी पेश की है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत बस्सी के आदेश दिनांक 31.12.1971 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 3 व 4 के पिता सूरजमल के हक में जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्य 3 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित भूमि से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी किये जाने के करीब 50 वर्ष बाद निगरानी पेश की है जो प्रथम दृष्टया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने मौका निरीक्षण कर व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही जारी किया है। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर निगरानीकर्ता का स्वामित्व स्पष्ट होता हो। निगरानीकर्ता

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली प्रमाणित छायाप्रति का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार संख्या 3 व 4 के पिता द्वारा ग्राम पंचायत बस्सी के समक्ष अपने खाम मकान के पट्टे हेतु आवेदन किया। ग्राम पंचायत द्वारा नजरी नक्शा अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी एवं दिनांक 14.04.1971 को आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में आपत्ति नोटिस जारी किया गया। जिसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.12.1971 को गैर निगरानीकार संख्या 3 व 4 के पिता के हक में पंचायत राज अधिनियम 1961 की धारा 266(क) के तहत आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया। विद्धान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि निगरानीकार की कब्जे की की भूमि रही है किन्तु निगरानीकार द्वारा अपने कथनो के समर्थन में एवं निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर अपने हक, अधिकार के समर्थन में कोई ठोस एवं सुसंगत दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात से जाहिर है कि निगरानीधीन पट्टे की आबादी भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार की भूमि है एवं ग्राम पंचायत अपने क्षेत्राधिकार की भूमि में कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर है जिसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। आबादी भूमि के संबंध में किसी के हक, हकूक, अधिकार तय करने बाबत श्रवण क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है। ग्राम पंचायत बस्सी, पंचायत समिति बस्सी द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व नियमानुसार पत्रावली बनाई जाकर पंचायत राज अधिनियम 1961 के नियम 266(क) के तहत ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की भूमि पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 3 व 4 के पिता के हक में किया जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति नगरपालिका बस्सी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर